टिप्पणी

9

प्रादेशिक कानून

कानून को उप-विभाजित करने के अनेक तरीके हैं। यह विषय-वस्तु के आधार पर हो सकता है, जैसे 'अधिष्ठायी कानून' और 'प्रक्रियात्मक कानून', 'सिविल कानून' तथा 'आपराधिक कानून, व्यक्तिगत कानून या लोक कानून, संपत्ति कानून, संविदा कानून आदि। इसी प्रकार 'कानून' का एक वर्गीकरण प्रदेश या क्षेत्र के आधार पर भी हो सकता है।

कानून प्रादेशिक इस दृष्टि से है कि इसका प्रयोग स्वयं भी प्रादेशिक होता है। सामान्यत: राज्य द्वारा निर्मित कानून व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं पर लागू होते हैं, जो इसके प्रादेशिक न्यायाधिकार के भीतर आते हैं। अन्य शब्दों में, कानून का प्रवर्तन इसे लागू करने वाले राज्य की प्रादेशिक सीमाओं तक सीमित है। तथापि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां प्रादेशिक सीमाओं से बाहर कानून का प्रयोग होता है। प्रादेशिक सीमाओं से बाहर कानून के प्रचालन से तात्पर्य है कि यह उस राज्य के प्रादेशिक सीमाओं के बाहर भी प्रभावित होता है, जो उस कानून विशेष का निर्माण करता है।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात् आप-

- 'प्रादेशिक कानून' के अर्थ को जान पाएंगे,
- केंद्रीय कानून के अर्थ को जान पाएंगे,
- 'राज्य कानून' के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे,
- 'स्थानीय कानून' का वर्णन कर पाएंगे,
- नगरपालिका कानून की पहचान कर पाएंगे,
- स्वायत्त कानून को चिन्हित कर पाएंगे,
- उच्चतम विधान और गौण विधान के बीच के अंतर को जान पाएंगे,
- प्रथागत या रूढ़िगत कानून के अर्थ को समझ पाएंगे।

टिप्पणी

9.1 प्रादेशिक कानून

प्रादेशिक कानून '**lex ioci**' या किसी विशिष्ट स्थान का कानून है और राज्य के उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर वह कानून लागू होता है, चाहें उनका व्यक्तिगत स्तर कुछ भी हो।

नियमों के निकाय के रूप में कानून का अनुप्रयोग सामान्यत: न्यायकरण के लिए होता है। सामान्य रूप से यह किसी प्रदेश से जुड़ा होता है और इसे संबंधित प्रदेश की स्वायत्त द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।

जब हम भारत में कानून की बात करते हैं तो हमारा अर्थ मात्र उस कानून से नहीं है तो भारत में प्रवर्तित होता है। इस प्रकार का वक्तव्य न केवल कानून के प्रादेशिक प्रवर्तन को स्वयंसिद्ध करता है, बल्कि कानून की प्रादेशिकता को भी सिद्ध करता है। सामान्यत: विधान द्वारा निर्मित कानून उन व्यक्तियों और वस्तुओं पर लागू किया जाता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जो ऐसे अधिकार-क्षेत्र के भीतर होने वाले कृत्यों और घटना से संबंधित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रादेशिक कानून अन्यथा नगरपालिका कानून या देश के घरेलू कानून के रूप में संबोधित किया जाता है। नगरपालिका कानून प्रभुसत्ता राज्य का राष्ट्रीय, घरेलू या आंतरिक कानून है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत परिभाषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के परिप्रेक्ष्य में नगर-पालिका कानून में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर कानून शामिल है, किंतु राज्य/ प्रांतीय या स्थानीय स्तर पर भी कानून शामिल हैं। केंद्रीय कानून, प्रांतीय/ राज्य कानून और स्थानीय कानून के रूप में कानूनों के वर्गीकरण को जब एक साथ लिया जाता है तो यह आपको प्रादेशिक कानून का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नागरिक केंद्र, राज्य तथा स्थानीय विधान सभाओं और प्रशासनिक निकायों द्वारा निर्मित विविध कानूनों के अधीन होते हैं। सामान्य रूप से सभी कानून एक अनुक्रम का भाग हैं, जिसमें केंद्रीय कानून शीर्ष पर है, स्थानीय कानून सबसे नीचे और राज्य कानून कहीं इनके बीच में है। तथापि, कानून के अन्य वर्गीकरण जैसे-अधिष्ठायी कानून, प्रक्रियात्मक कानून, सिविल कानून और दंड कानून को भी प्रवर्तन के विचारार्थ प्रादेशिक कानून के कार्यक्षेत्र में शामिल किया जा सकता है।

अधिष्ठायी कानून सामान्य रूप से पक्षों के अधिकारों और दायित्वों पर कार्य करता है, चाहें उनकी नागरिकता कहीं की भी हो, उदाहरण के लिए भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1982, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आदि।

इसी प्रकार, प्रक्रियात्मक कानून अधिष्ठायी कानूनों के क्रियान्वयन के प्रक्रियात्मक पहलुओं को शामिल करता है, उदाहरण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, साक्ष्य अधिनियम, 1882, परिसीमा अधिनियम, 1963 आदि।

कानून का प्रवर्तन राज्य द्वारा किया जाना होता है और राज्य की शक्ति राज्य के अधिकार से आगे नहीं होती है। तथापि, व्यवस्था और न्याय के अनुरक्षण में राज्यों के आपसी हित यह मांग करते हैं कि राज्यों को एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए।

एक निर्धारित प्रदेश की कानूनी प्रणाली से आंशिक तात्पर्य यह है कि इनके नियमों का अभिप्राय: राज्य क्षेत्रातीत लागू नहीं होता है, आंशिक अर्थ है कि जो उन्हें लागू तथा प्रवर्तित करते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं कि यह राज्य क्षेत्रातीत लागू किया जा रहा है और आंशिक अर्थ

है कि अन्य राज्य उसे नहीं मानेंगे। उपर्युक्त कथन में कतिपय परिवर्तनों की आवश्यकता है। कानून की एक प्रणाली केवल एक निर्धारित प्रदेश के भीतर केवल लोगों, वस्तु, कृत्यों और घटनाओं पर लागू होती है, यह एक स्व-स्पष्ट सत्य नहीं है, यह मात्र राज्यों के व्यवहार से सामान्यीकरण है।

? क्या आप जानते है

प्रादेशिक बंधन का सिद्धांत

भारतीय संविधान की धारा 245(1) में प्रावधान है कि राज्य विधानसभा उस राज्य के क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानसभा राज्य क्षेत्रातीत कानून नहीं बना सकता है, केवल ऐसी स्थिति को छोड़कर जहां राज्य और यथा विधान की विषयवस्तु (विषय राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से स्थित नहीं भी हो सकती है) के बीच उपयुक्त संबंध या विधेय-संबंध थे।

संसदीय कानून का राज्य क्षेत्रातीत प्रचालन

भारतीय संविधान की धारा 245(2) में प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित कानून को इस आधार पर अमान्य या रद्द नहीं किया जा सकता है कि इसका प्रचालन राज्यक्षेत्रातीत है अर्थात् भारत के क्षेत्र से बाहर इसका प्रभाव रहेगा।

पाठगत प्रश्न 9.1

1. प्रादेशिक कानून को परिभाषित करें।
2. 'प्रादेशिक बंधन के सिद्धांत' की व्याख्या कीजिए।
3. 'संसदीय कानून का राज्य क्षेत्रातीत प्रचालन' का अर्थ स्पष्ट करें।

9.2 केंद्रीय कानून

भारत संघ द्वारा निर्मित कानून को अन्यथा केंद्रीय कानूनों के नामसे जाना जाता है। अनुच्छेद 245 में प्रावधान है कि संसद संपूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र या किसी भाग के लिए कानून बनाएगी और राज्य की विधानसभा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाएगी। इसी प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 संसद द्वारा निमति कानून और राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानूनों की विषय-वस्तु से संबंधित है। भारतीय संविधान की अनुसूची ट'' तीन सूचियां उपलब्ध कराती है, जिसमें उन मुद्दों का उल्लेख है, जिन पर विभिन्न राज्यों के विधान की शक्तियां निहित हैं। ये सूचिया हैं-केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संसद को ऐसे किसी भी मुद्दे पर कोई भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिनका उल्लेख 'समवर्ती सूची' और 'राज्य' सूची में नहीं है।

'संघ सूची' में उल्लिखित मुद्दों पर नियम बनाने का अधिकार विशिष्ट रूप से केंद्र सरकार को है। इस सूची में 97 प्रविष्टियां सामान्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं या एक या अधिक

राज्यों से संबंधित हैं। 'संघ सूची' में उल्लिखित विषयों पर केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानूनों को सामान्यत: केंद्रीय कानूनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये कानून संपूर्ण देश में लागू होते हैं। तथापि, अनुप्रयोज्यता की दृष्टि से प्रत्येक कानून/ नियम का अपना न्याय क्षेत्र होता है। अधिनियम के अनुप्रयोग की सीमा सामान्यत: अधिनियम के आरंभ में ही निर्धारित की जाती है। भारत में, अधिकतर मामलों में सामान्यत: जम्मू और कश्मीर राज्य के कानून के प्रचालन और प्रवर्तन से अलग रखा जाता है। केंद्रीय कानूनों का निर्माण भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। संसद में लोक सभा (हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव या निचला सदन), राज्य सभा (राज्य परिषद् या ऊपरी सदन) और राष्ट्रपति शामिल हैं। मुद्दा जिस पर नियम बनाए जाने की आवश्यकता है, उसे विधेयक के रूप में संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तत्पश्चात् उस सदन में उस विधेयक पर चर्चा-परिचर्चा होती है और यदि वह अपेक्षित गणपूर्ति के साथ पारित हो जाता है तो इसे चर्चा के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि दूसरे सदन में भी अपेक्षित गणपूर्ति के साथ यह पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं तो यह अधिनियम बन जाता है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि न्यायकरण के लिए संघीय ढांचा विधान स्कंद का होता है अर्थात् केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक प्राधिकरण और कानूनों के व्याख्यान और कथन का अधिकार न्यायपालिका का है। जब एक विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत अधिनियम बनता है तो उच्चतम न्यायालय यह देखन के लिए संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में अधिनियम की जांच करता है कि यह भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन न करे और घोषणा करता है कि यह कानून वैध है। यदि किसी भी समय उच्चतम न्यायालय संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन देखता है तो उसे कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति और अधिकार होता है और इस प्रकार वह अमान्य हो जाता है।

जैसा कि हम जानते हैं केंद्रीय कानून का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत है, चाहे राज्य का अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि केंद्र सरकार को 'संघ सूची' में कानून बनाने का अधिकार है, किंतु केंद्र कतिपय अवसरों पर राज्य के मुद्दों पर भी कानून बना सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य हित में 'राज्य सूची' में उल्लिखित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। यह वर्णन करता है कि यदि राज्यों की विधान परिषद् (राज्यसभा) उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुत से पारित संकल्प द्वारा घोषणा करती है और मतदान करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या अवश्यंभावी है कि संसद संकल्प में विनिर्दिष्ट 'राज्य सूची' में उल्लिखित किसी मुद्दे पर कानून बना सकती है तो 'संकल्प' के दौरान उठे मुद्दे के संबंध में भारत के संपूर्ण प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए संसद द्वारा कानून बनाना विधिसंगत होगा। ऊपर उल्लिखित प्रावधान के अंतर्गत पारित 'संकल्प' उसे अवधि के लिए लागू रहेगा, जैसा कि उस में उल्लेख है जो कि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि अपेक्षित प्रक्रियाओं के माध्यम से 'संकल्प' की निरंतरता को जारी रखने की संस्वीकृति प्रदान की जाती है तो इसे आगे और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। छह महीने की समाप्ति पर यह समाप्त हो जाएगा और 'संकल्प' प्रभावी नहीं रहेगा।

इसी प्रकार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 'राज्य सूची' में किसी विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है, यदि आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई हो। वर्ष 2010 तक लगभग 1221 केंद्रीय नियम विद्यमान हैं। भारत में केंद्रीय नियम के कुछ उदाहरण हैं- भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 आदि।

विधायी विषयों का वितरण

'विधान' कानून को बनाने की प्रक्रिया है। संविधान विधायी शक्तियों का दो स्तरीय संवितरण करता है-

1. प्रदेश के संबंध में, जिसके सीमा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में शामिल प्रादेशिक विधायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की गई है।
2. विधान की विषय-वस्तु के संबंध में (यथा तीन सूचियां)

यहां तीन सूचियां हैं, जो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत विधायी शक्ति के संवितरण का प्रावधान करती हैं-

(क) संघ सूची (सूची I)-इसमें 97 मदें शामिल हैं और इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय समाविष्ट हैं। केवल संसद इन मुद्दों पर कानून बना सकती है, जैसे-रक्षा, विदेशी मांगें, बैंकिंग, मुद्रा, केंद्रीय कर आदि।

(ख) राज्य सूची (सूची II)-इसमें 66 मदें शामिल हैं और इसमें स्थानीय या राज्य हित के विषय समाविष्ट हैं और इसलिए यह राज्य विधानों के विधायी सक्षमताओं यथा जन-व्यवस्था और पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि आदि के भीतर सीमित है।

(ग) समवर्ती सूची (सूची III)-इसमें 47 मदें हैं, जिसके संबंध में, केंद्रीय संसद और राज्य विधानसभाओं को विधान की समवर्ती शक्तियां प्राप्त हैं। समवर्ती सूची (जो किसी अन्य संघीय संविधान में नहीं पाई जाती है) का प्रयोजन दो स्तरीय संवितरण में किसी प्रकार की अत्यधिक कठोरता से बचने के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाना है। यह एक 'संधि क्षेत्र' है, जहां अत्यंत महत्वूपर्ण विषयों पर राज्य कार्रवाई कर सकता है और महत्वपूर्ण विषयों पर संसद भी कार्रवाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य संसद द्वारा बनाए गए नियमों के विस्तार के उद्देश्य से अनुपूरक कानून बना सकता है। इन विषयों में सामान्य कानून और सामाजिक कल्याण-सिविल तथा दंड प्रक्रिया, विवाह, संविद, नियोजन, शिक्षा आदि के विषय शामिल हैं।

क्रियाकलाप 9.1

क्या आप जानते हैं?

- भारत के राष्ट्रपति कौन हैं?
- भारत के उप-राष्ट्रपति कौन हैं?
- भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं?
- भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं?
- लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं?
- राज्यसभा के सभापति कौन हैं?

पाठगत प्रश्न 9.2

1. केंद्रीय कानून को परिभाषित कीजिए।
2. 73वें और 73वें संवैधानिक संशोधित अधिनियम, 1992 के संदर्भ में विकेंद्रीकरण के कार्यक्षेत्र पर चर्चा करें।

सही विकल्प पर (√) चिह्न लगाएं-

3. राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं-

   (क) 66 प्रविष्टियां (ख) 97 प्रविष्टियां

   (ग) 82 प्रविष्टियां (घ) 77 प्रविष्टियां

4. सामान्यतः संघ और राज्य कानूनों में विवाद के मामले में कौन प्रचलित रहता है?

   (क) राज्य कानून (ख) संघीय कानून

   (ग) कोई विद्यमान नहीं रहता (घ) कोई नहीं।

9.3 राज्य कानून

राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित कानूनों को 'राज्य कानून' कहते हैं। इसका उस राज्य के प्रदेश के ऊपर अधिकार क्षेत्र और अनुप्रयोज्यता होती है, जिसने इसका निर्माण किया है। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, राज्य सरकार की अनुसूची टप्प में राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इस सूची में 66 मदें हैं, जो राज्य के हितों से संबंधित हैं। प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार कानून बनाने के लिए मुक्त हैं, जो केवल उसी राज्य में लागू व प्रवर्तित होगा। उल्लंघन के मामलों में, उस राज्य के व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए उस राज्य से संबंधित न्यायालय में जा सकते हैं। राज्य निर्मित कानूनों के कुछ उदाहरण हैं-

उड़ीसा राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून

उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 2003

उड़ीसा शहरी पुलिस अधिनियम, 2003

उड़ीसा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004

मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून

मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम, 2009

मध्य प्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2009

मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2009

केंद्र और राज्य कानूनों के बीच असंगति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 में प्रावधान है कि "यदि राज्य विधानसभा द्वारा निमित कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा निर्मित कानून के किसी प्रावधान, जिसे पारित करने में संसद सक्षम है या समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में एक मौजूदा नियम के किसी प्रावधान के विरुद्ध है तो संसदीय कानून चाहे वह राज्य विधानसभा के कानून या मौजूदा कानून से पूर्व या पश्चात पारित किया गया हो, विद्यमान रहेगा और 'राज्य कानून' असंगतता के स्तर तक अमान्य माना जाएगा।"

अनुच्छेद 254(1) इस नियम का उल्लेख करता है कि संघ और राज्य कानूनों के बीच विवाद की स्थिति में संघीय कानून प्रचलित रहेगा। चाहे संघ कानून राज्य कानून से पूर्व पारित हुआ हो या राज्य कानून के पारित होने के बाद। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि जब केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा समान आधार को शामिल करने वाला विद्यमान उपस्थित है और दोनों ही इसको पारित करने के लिए सक्षम हैं तो राज्य कानून के ऊपर केंद्रीय कानून प्रचलित रहेगा। 'विद्यमान कानून' अभिव्यक्ति से तात्पर्य संविधान के निर्माण से पूर्व किसी विधान या प्राधिकरण आदि द्वारा निर्मित कानूनों से है। इसके कुछ उदाहरण हैं-आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया, साक्ष्य, संविदा उपभोक्ता संरक्षण आदि।

विरोध की मात्रा (repugnancy) से यहां तात्पर्य असंगत अयोग्यता से है। विरोध की मात्रा स्पष्ट प्रत्यक्ष तथा असंगत होनी चाहिए। दो अधिनियमों के प्रावधान ऐसे होते हैं कि वे एक समान क्षेत्र में एक साथ रह सकते हैं और प्रचलित हो सकते हैं। यदि वे किसी विवाद को उत्पन्न किए बिना तीसरी सूची में समान प्रविष्टि से संबंधित समान क्षेत्र में प्रचालन कर सकते हैं तो वही किसी प्रकार का विरोध नहीं है।

संघीय कानूनों का आधिपत्य और राज्य द्वारा निर्मित सीमाबद्धताएं

1. किसी विषय पर यदि तीन सूचियों के बीच में अतिव्याप्तता है तो संघीय कानून को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
2. समवर्ती क्षेत्र में समान विषय के संबंध में संघ और राज्य के बीच विरोध या असंगतता के मामले में केंद्रीय कानून प्रचलित रहेगा।
3. केंद्र सूची की वृहत प्रकृति-कुछ विषय, जो सामान्यतः राज्य के अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए थे, वे केंद्र सूची में हैं, उदाहरण के लिए उद्योग, चुनाव और लेखापरीक्षा, अंतरराज्यीय व्यापार आदि।
4. अवशिष्ट शक्तियां-ऐसे किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को प्रदान की गई हैं, जो तीनों में से किसी भी सूची में नहीं है। उदाहरण के लिए कर लगाना।
5. कतिपय परिस्थितियों में केंद्रीय विधायिका की शक्तियों का विस्तार-निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बना सकती है-

   (क) राज्य परिषद् (राज्य सभा) एक-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा यह घोषणा करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है।

(ख) आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत।

(ग) एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर।

(घ) राज्य विधानसभाओं की सहमति से राज्यों के बीच करारों द्वारा।

(ड़) अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को क्रियान्वित करने हेतु।

6. कतिपय प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य विधानसभाओं में पेश नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं द्वार पारित विधेयक तक प्रचलित नहीं होते हैं, जि तक कि राज्य के राज्यपाल द्वारा विचार किए जाने के लिए आरक्षित रखे जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है।

? क्या आप जानते है

भारत में विधान और जम्मू और कश्मीर राज्य में उनका प्रादेशिक अनुप्रयोग

सामान्यत: विधान आरंभिक प्रावधानों से शुरू होते हैं, जो अल्प शीर्षक, कार्यक्षेत्र और इसके प्रभावी होने की तारीख और केंद्र, राज्य कानून या किसी स्थानीय कानून की संहिता और विधानों का प्रचालन शामिल होता है।

भारत में अधिकतर कानूनों की अनुप्रयोज्यता जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है।

भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को विधान बनाने की शक्ति

अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत निहित हैं। यह कानून निर्माण की शक्ति है, जब संसद के दोनों सदनों के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, इस प्रकार संसदीय अधिनियम संभव नहीं है। इस शक्ति की परिधि संसद की विधायी शक्ति के सह-विस्तृत हैं अर्थात् यह ऐसे किसी विषय से संबंधित हो सकता है, जिस पर संसद कानून बना सकता है और यह समान संवैधानिक परिसीमाओं के मद्देनजर भी है, जैसा कि संसद द्वारा विधान किया गया है। तथापि, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं।

क्रियाकलाप 9.2

क्या आप जानते हैं?

- उड़ीसा राज्य के राज्यपाल कौन हैं?
- उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं?

- उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं?
- उड़ीसा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं?

पाठगत प्रश्न 9.3

1. 'राज्य कानून' को परिभाषित कीजिए।
2. रिक्त स्थान भरें-
   (i) ..... इस नियम का उल्लेख करता है कि संघ और राज्यों के कानूनों के बीच विवाद की स्थिति में संसदीय कानून अचालित रहेगा।
   (ii) किसी विषय पर तीन सूचियों के बीच यदि अतिव्याप्ता है, तो ..... कानून को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
   (iii) ऐसे किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति ..... को प्रदान की गई है, जो तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में नहीं है।
   (iv) राज्य सूची में ..... अविष्टियां हैं।
   (v) संघीय सूची में ..... प्रविष्टियां हैं।

9.4 स्थानीय कानून

'स्थानीय' कानून से तात्पर्य उस कानून से है, जो एक राज्य के एक प्रदेश विशेष में स्थानीय स्तर पर लागू होता है। 'स्थानीय कानून' एक विशिष्ट स्थान का कानून है और यह देश का सामान्य कानून नहीं है। यह कानून दो प्रकार के होते हैं-

क) स्थानीय रूप से निर्मित कानून

ख) स्थानीय परंपरागत कानून

स्थानीय रूप से निर्मित कानून का स्रोत स्थानीय विधायी प्राधिकरण या नगरपालिकाएं या अन्य निगमित निकाय होते हैं, जिन्हें उप-नियमों, सामान्य नियमों के अनुपूरकों के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में संचालन करने का अधिकार प्राप्त होता है।

सामान्यत: स्थानीय कानूनों के निर्माण का अधिकार और प्राधिकार स्थानीय सरकार के पास होता है। तथापि, राज्य विधायिका को भी स्थानीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है।

पाठगत प्रश्न 9.4

1. स्थानीय कानून को परिभाषित कीजिए।

टिप्पणी

9.5 नगरपालिका कानून

भारत में स्थानीय सरकार अर्थात् ग्रामीण स्थानीय सरकार और शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित प्रावधान पंचायती कानून और नगरपालिका कानून के रूप में विद्यमान हैं।

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार ग्रामीण स्थानीय सरकार का अर्थ और इसमें शामिल तत्व निम्नानुसार हैं–

(क) ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत,

(ख) ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति,

(ग) जिला स्तर पर जिला परिषद्।

इसी प्रकार 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 में शहरी स्थानीय सरकार का अर्थ और इसमें शामिल तत्व निम्नानुसार हैं–

(क) नगर पंचायत (उड़ीसा के मामले में अधिसूचित क्षेत्र परिषद् (एनएसी)–एक परिवर्ती क्षेत्र के लिए अर्थात् वह क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है।

(ख) छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद्।

(ग) बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।

73वां और 74वां संवैधानिक अधिनियम, 1992 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा की शाखा–विस्तार के रूप में है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया के पीछे औचित्य यह है कि स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय लोग ही बेहतर ढंग से सुलझा पाएंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय लोगों को अधिकार प्रदान करना है। ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची और शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित संविधान की बारहवीं अनुसूची को भारत के संविधान के अनुसूचियों में संलग्न किया गया था। अनुसूची ग्यारह में 29 क्रियात्मक मदें शामिल हैं, जिन पर कानून बनाने के अधिकार का प्रयोग ग्रामीण स्थानीय सरकार द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार, बारहवीं अनुसूची में 18 क्रियात्मक मदें हैं, जिन पर शहरी स्थानीय सरकार कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि स्थानीय स्तर से संबंधित कानूनों का निर्माण करते समय स्थानीय लोगों का हित सर्वोपरि है। तथापि, राज्य भी राज्य के व्यापक हित में ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

पाठगत प्रश्न 9.5

रिक्त स्थान भरें–

1. शहरी स्थानीय सरकार, भारत के संविधान के ..... संशोधन से संबंधित हैं।
2. भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची स्थानीय सरकार के ..... स्वरूप से संबंधित हैं।

3. भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची स्थानीय सरकार के ..... स्वरूप से संबंधित हैं।

4. ग्रामीण स्थानीय सरकार, भारत के संविधान के ..... संशोधन से संबंधित हैं।

9.6 विधान के प्रकार

1. **उच्चतम विधान :** विधान को उस समय उच्चतम कहा जाता है, जब इसे संसद या राज्य विधान सभाओं की उच्चतम या प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति द्वारा बनाया जाता है। इसे किसी अन्य विधायी अधिकारियों द्वार निरस्त या कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

2. **अधीनस्थ विधान :** एक विधान तब अधीनस्थ होता है, जब उसका निर्माण उच्चतम अधीनस्थ प्राधिकरण से इतर किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उसे प्रदान की गई शक्तियों के अंतर्गत बनाया जाता है। अधीनस्थ विधान पांच प्रकार के होते हैं-

   (क) कार्यपालिका-विधान के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति कार्यकारी की होती है (अर्थात् सरकार की वह शाखा, जो कानूनों को लागू करती है और प्रशासन को चलाती है।

   (ख) न्यायपालिका-न्यायपालिका को अपनी प्रक्रियाओं और प्रशासन को विनियमित करने के लिए नियमों को बनाने का अधिकार प्राप्त होता है।

   (ग) नगरपालिका-नगरपालिका निकायों को अधिनियम द्वारा शक्तियां प्रत्यायुक्त की जाती हैं, जो उन्हें अस्तित्व में लाती हैं ताकि नगरपालिका को सौंपी गई, विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन के लिए उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए नियम और उप-नियम बनाए जा सकें।

   (घ) स्वायत्त-स्वायत्त निकाय, जैसे विश्वविद्यालय को राज्य द्वारा अधिकार प्रदान किए जाते हं, ताकि वे अपने प्रशासन के लिए नियम और उप-नियम बना सकें।

   (ड़) उपनिवेशी-जो देश स्वतंत्र नहीं हैं या किसी अन्य राष्ट्र के नियंत्रण के अधीन हैं, उनके नियम नियंत्रणकर्ता राष्ट्र के उच्चतम विधान के मद्देनजर होगा।

कानून बनाने की शक्ति सामान्यत: संसद तथा राज्य विधानसभाओं की होती है, तथापि कुछ मामलों में कानून निर्माण की शक्ति को प्रशासनिक प्राधिकरणों को भी हस्तांतरित की जा सकती है।

पाठगत प्रश्न 9.6

1. उच्चतम विधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

2. अधीनस्थ विधान की व्याख्या कीजिए।

9.7 स्वायत्त कानून

सरकारी प्रणाली के बाहर बड़ी संख्या में निगम विद्यमान हैं, जिन्हें स्वयं के लिए और अनेक मामलों में व्यापक स्तर पर जनसाधारण के लिए उप-नियम बनाने के अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार के निगमों को 'जन उपयोगिता निकाय' कहा जाता है, उदाहरण के लिए-परिवहन, प्रकाश, ताप, जल आदि के लिए प्राधिकरण और इन निगमों को संचालित करने वाले नियमों को कड़ाई से 'स्वायत्त' कहा जाता है, क्योंकि ये केवल प्रत्यक्ष रूप से एक विशिष्ट निगम के सदस्यों से संबंधित होते हैं। इसका सर्वाधिक सामान्य उदाहरण है-'संयुक्त-स्टॉक कंपनी के संगम अनुच्छेद' रेल कंपनी के उप-नियम, विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियम स्वायत्त कानून के कुछ उदाहरण हैं।

पाठगत प्रश्न 9.7

1. 'स्वायत्त कानून' के दो उदाहरण प्रस्तुत करें।

9.8 रूढ़िजन्य कानून

रूढ़िजन्य या प्रथमत कानून से तात्पर्य उन नियमों और सिद्धांतों से है, जो एक विशिष्ट समुदाय में एक लंबे समय से वास्तव में व्यवहार में लाए जा रहे हैं। इन नियमों का कानून जैसा प्रभाव रहता है। सार रूप में रूढ़िजन्य कानून स्थानीय कानून का भाग हैं, जो एक राज्य के भीतर स्थान विशेष में लागू होते हैं, जहां इनका व्यवहार किया जाता है। इनकी जड़ें चिरकालीन 'परंपराओं' से आती हैं, जो राज्य के विशिष्ट भाग में प्रचलित होते हैं और इसलिए इसमें कानून का प्रभाव होता है। ये अनेक कारणों से अस्तित्व में आए हैं। जब कुछ प्रकार की क्रियाओं को सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और सामान्यत: लंबे समय तक इनको व्यवहार में लाया जाता है तो ये 'परंपराएं' बन जाती हैं। कई बार ये तात्कालिता के आधार पर जन्म लेते हैं। इनके अस्तित्व में आने के अन्य कारण हैं-अनुकरण, सुविधा आदि। जब इन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तो वे 'सिविल कानून' का भाग बन जाते हैं। परंपराओं के कार्यक्षेत्र और प्राधिकार के संबंध में न्यायाधीशों में विचारों में अंतर है। कुछ कहते हैं कि 'परंपराएं' मान्य कानून हैं। अन्य कहते हैं कि ये साधारण रूप से कानून के स्रोत हैं।

वैध परंपराओं की अपेक्षाएं या आवश्यकताएं या अनिवार्यताएं

एक वैध या मान्य परंपरा होने के लिए इसे कानून द्वारा निर्धारित कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करना होता है, जो निम्नानुसार हैं-

(क) तर्क संगति

(ख) निरंतरता

(ग) अनिवार्य अनुसरण

(घ) निरंतरता और स्मरणातीत प्राचीनता

(ड़) निश्चितता

पाठगत प्रश्न 9.8

1. रूढ़िजन्य या प्रथागत कानून का अर्थ बताइए।
2. सही या गलत बताइए–
   (i) स्मरणातीत प्राचीनता रूढ़िजन्य कानून की मान्य अनिवार्यता है।(सही/ गलत)
   (ii) निरंतरता रूढ़िजन्य कानून की मान्य अनिवार्यता है। (सही/ गलत)
   (iii) यथोचितता रूढ़िजन्य कानून की मान्य अनिवार्यता है। (सही/ गलत)
   (iv) अनिवार्य अनुसरण रूढ़िजन्य कानून की मान्य अनिवार्यता है। (सही/ गलत)

आपने क्या सीखा

कानून सिद्धांतों का निकाय है, जिसे न्यायकरण के लिए राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और अनुप्रयोग किया जा रहा है। कानून को राज्यों की सीमाओं के भीतर व्यापक कार्य-प्रणाली पर समाज द्वारा स्वीकृत कानूनी व्यवस्था के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। कानून का वर्गीकरण अनेक रूपों में किया जा सकता है। इसे विषय-वस्तु के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे-अधिष्ठायी कानून तथा प्रक्रियात्मक कानून, सिविल कानून और आपराधिक कानून, व्यक्तिगत कानून, संपत्ति कानून, संविदा से संबंधित कानून और क्षति का कानून आदि, राज्य या सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों के आधार पर कानून को प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे-केंद्रीय कानून, राज्य या उपनिवेशीय कानून तथा स्थानीय कानून।

प्रादेशिक कानून **'lex ioci'** या किसी विशिष्ट स्थान का कानून है और राज्य के उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर वह कानून लागू होता है, चाहें उनका व्यक्तिगत स्तर कुछ भी हो। सामान्य रूप से यह किसी प्रदेश से जुड़ा होता है और इसे संबंधित प्रदेश की स्वायत्त द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रादेशिक कानून अन्यथा नगरपालिका कानून या देश के घरेलू कानून के रूप में संबोधित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के परिप्रेक्ष्य में नगरपालिका कानून में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर कानून शामिल है, किंतु राज्य/ प्रांतीय या स्थानीय स्तर पर भी कानून शामिल हैं।

अधिष्ठायी कानून सामान्य रूप से पक्षों के अधिकारों और दायित्वों पर कार्य करता है, चाहें उनकी नागरिकता कहीं की भी हो। प्रक्रियात्मक कानून अधिष्ठायी कानूनों के क्रियान्वयन के प्रक्रियात्मक पहलुओं को शामिल करता है।

कानून का प्रवर्तन राज्य द्वारा किया जाना होता है और राज्य की शक्ति राज्य के अधिकार से आगे नहीं होती है।

भारत संघ द्वारा निर्मित कानूनों को सामान्यत: केंद्रीय नियम कहते हैं। केंद्रीय कानून का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत है, चाहे राज्य क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। राज्य विधान द्वारा निर्मित कानूनों को राज्य कानून कहते हैं। इनका क्षेत्राधिकार और अनुप्रयोक्यता उस राज्य के प्रदेश पर होती है, जिसने उसका निर्माण किया है।

'स्थानीय कानून' एक विशिष्ट कानून है और यह देश का सामान्य कानून नहीं है। यह कानून दो प्रकार के होते हैं।

भारत में स्थानीय सरकार अर्थात् ग्रामीण स्थानीय सरकार और शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित प्रावधान पंचायती कानून और नगरपालिका कानून के रूप में विद्यमान हैं।

'संयुक्त-स्टॉक कंपनी के संगम अनुच्छेद', विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियम स्वायत्त कानून के कुछ उदाहरण हैं।

रूढ़िजन्य या प्रथमत कानून से तात्पर्य उन नियमों और सिद्धांतों से है, जो एक विशिष्ट समुदाय में एक लंबे समय से वास्तव में व्यवहार में लाए जा रहे हैं। इन नियमों का कानून जैसा प्रभाव रहता है।

पाठांत प्रश्न

1. प्रादेशिक कानून के अनुप्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख करें।
2. केंद्रीय कानून को राज्य तथा स्थानीय कानूनों के ऊपर व्यापकता प्राप्त नहीं है-वर्णन करें।
3. भारतीय संविधान के 73वें तथा 74वें अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय निकायों को स्वायत्ता प्रदान की गई है, अपने विचार प्रस्तुत करें।
4. अभ्यादेश जारी करने के संबंध में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल की शक्तियों की चर्चा करें।
5. सामान्यत: भारत में प्रचलित विधानों के प्रकारों का उल्लेख करें।
6. 'प्रदेश-बाह्य संबंध के सिद्धांत' का वर्णन करें।
7. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सूचियों के संबंध में व्याख्यान के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करें।
8. रुढ़िजन्य कानून के सिद्धांतों आवश्यकताओं/अनिवार्यताओं का वर्णन करें।
9. 'स्वायत्त कानून' और 'नगरपालिका कानून' की अवधारणाओं का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करें।

10. अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रादेशिक कानून के बीच अंतर स्पष्ट करें।
11. भारत में 'पंचायती राज प्रणालीय' पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
12. भारत में 'केंद्रीय कानून के अनुप्रयोग' पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
13. 'उच्चतम विधान' पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

9.1

1. प्रादेशिक कानून एक प्रदेश विशिष्ट के कानून का प्रतिनिधित्व करता है। प्रादेशिक कानून **'lex ioci'** या किसी विशिष्ट स्थान का कानून है और राज्य के उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर वह कानून लागू होता है, चाहें उनका व्यक्तिगत स्तर कुछ भी हो। नियमों के निकाय के रूप में कानून का अनुप्रयोग सामान्यत: न्यायकरण के लिए होता है। केंद्रीय कानून, प्रांतीय/ राज्य कानून और स्थानीय कानून के रूप में कानूनों के वर्गीकरण को जब एक साथ लिया जाता है तो यह आपको प्रादेशिक कानून का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नागरिक केंद्र, राज्य तथा स्थानीय विधान सभाओं और प्रशासनिक निकायों द्वारा निर्मित विविध कानूनों के अधीन होते हैं। सामान्य रूप से सभी कानून एक अनुक्रम का भाग हैं, जिसमें केंद्रीय कानून शीर्ष पर है, स्थानीय कानून सबसे नीचे और राज्य कानून कहीं इनके बीच में है।
2. **प्रादेशिक बंधन का सिद्धांत :** भारतीय संविधान की धारा 245(1) में प्रावधान है कि राज्य विधानसभा उस राज्य के क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानसभा राज्य क्षेत्रातीत कानून नहीं बना सकता है, केवल ऐसी स्थिति को छोड़कर जहां राज्य और यथा विधान की विषयवस्तु (विषय राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से स्थित नहीं भी हो सकती है) के बीच उपयुक्त संबंध या विधेय-संबंध थे।
3. **संसदीय कानून का राज्य क्षेत्रातीत प्रचालन :** भारतीय संविधान की धारा 245(2) में प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित कानून को इदस आधार पर अमान्य या रद्द नहीं किया जा सकता है कि इसका प्रचालन राज्यक्षेत्रातीत है अर्थात् भारत के क्षेत्र से बाहर इसका प्रभाव रहेगा।

9.2

1. संघीय या केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को केंद्रीय कानून कहा जाता है।
2. 73वां और 74वां संवैधानिक अधिनियम, 1992 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विधारणा की उप-शाखा के रूप में है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया के पीछे औचित्य यह है कि स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय लोग ही बेहतर ढंग से सुलझा पाएंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय लोगों को अधिकार प्रदान करना है। ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची और शहरी

स्थानीय सरकार से संबंधित संविधान की बारहवीं अनुसूची को भारत के संविधान के अनुसूचियों में संलग्न किया गया था। अनुसूची ग्यारह में 29 क्रियात्मक मदें शामिल हैं, जिन पर कानून बनाने के अधिकार का प्रयोग ग्रामीण स्थानीय सरकार द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार, बारहवीं अनुसूची में 18 क्रियात्मक मदें हैं, जिन पर शहरी स्थानीय सरकार कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि स्थानीय स्तर से संबंधित कानूनों का निर्माण करते समय स्थानीय लोगों का हित सर्वोपरि है।

3. 66
4. संघीय कानून

9.3

1. राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित कानूनों को 'राज्य कानून' कहते हैं। इसका उस राज्य के प्रदेश के ऊपर अधिकार क्षेत्र और अनुप्रयोज्यता होती है, जिसने इसका निर्माण किया है। राज्य सरकार की सातवीं अनुसूची में 'राज्य सूची' में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इस सूची में 66 मदें हैं, जो राज्य के हितों से संबंधित हैं। प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार कानून बनाने के लिए मुक्त है, जो केवल उसी राज्य में लागू व प्रवर्तित होगा। उल्लंघन के मामले में, उस राज्य के व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए उस राज्य के संबंधित न्यायालय में जा सकते हैं।

2. (i) अनुच्छेद 254(1)
   (ii) संघीय कानून
   (iii) केंद्र या संघ
   (iv) 66
   (v) 97

9.4

1. स्थानीय कानून से तात्पर्य उस कानून से है, जो एक प्रदेश विशेष में स्थानीय स्तर पर लागू होता है। स्थानीय कानून एक विशिष्ट स्थान का कानून है, और वह देश का सामान्य कानून नहीं है।

9.5

1. 74वां
2. शहरी
3. ग्रामीण
4. 73वां

9.6

1. **उच्चतम विधान :** विधान को उस समय उच्चतम कहा जाता है, जब इसे संसद या राज्य विधान सभाओं की उच्चतम या प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति द्वारा बनाया जाता है। इसे किसी अन्य विधायी अधिकारियों द्वार निरस्त या कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
2. **अधीनस्थ विधान :** एक विधान तब अधीनस्थ होता है, जब उसका निर्माण उच्चतम अधीनस्थ प्राधिकरण से इतर किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उसे प्रदान की गई शक्तियों के अंतर्गत बनाया जाता है।

9.7

1. स्वायत्त कानून के दो उदाहरण हैं-
   (i) 'संयुक्त-स्टॉक कंपनी के संगम अनुच्छेद'
   (ii) विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियम

9.8

1. रूढ़िजन्य या प्रथमत कानून से तात्पर्य उन नियमों और सिद्धांतों से है, जो एक विशिष्ट समुदाय में एक लंबे समय से वास्तव में व्यवहार में लाए जा रहे हैं। इन नियमों का कानून जैसा प्रभाव रहता है।
2. (i) सही
   (ii) सही
   (iii) सही
   (iv) सही